

प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 10.7.2009

वित्त मंत्री श्री राघवजी ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2009-2010 का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2009-2010 के प्रस्तुत बजट का संक्षिप्त लेखा एवं वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

	प्राप्तियां	व्यय	घाटा (-)/वृद्धि (अ)
राजस्व खाता	39961.03	38262.12	+ 1698.91
पूँजी व्यय	-	6793.16	- 6793.16
शुद्ध लोक ऋण	12784.17	6290.46	+ 6493.71
ऋण तथा अग्रिम	47.36	1389.52	- 1342.16
लोक लेखा में विशुद्ध प्राप्ति	94753.99	94675.61	+ 78.38
वर्ष का विशुद्ध संव्यवहार	147546.60	147410.90	+135.68
प्रारंभिक शेष			-238.64
अंतिम शेष			-102.96

- वर्ष 2009-10 के लिये रुपये 1,698.91 करोड़ राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत हुआ है।
- वर्ष 2009-10 का अनुमानित राजकोषीय घाटा रुपये 6,436.41 करोड़ होना संभावित है जिसका जी. एस.डी.पी. से अनुपात 3.73 प्रतिशत है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुमानित।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां रुपये 39,961.03 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि रु. 16,075.45 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा रुपये 11,047.41 करोड़, करेतर राजस्व रुपये 3,936.54 करोड़ एवं रुपये 8,901.63 करोड़ केन्द्र से प्राप्त अनुदान शामिल है।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 में वर्ष 2008-09 के राज्य के स्वयं कर राजस्व के बजट अनुमानों से 13.09 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 में राजस्व व्यय रुपये 38,262.12 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित अनुमान रु. 31,778.94 से रुपये 6,483.18 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2009-2010 का प्रारंभिक शेष रुपये (-) 238.64 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित रुपये (+) 135.68 करोड़ है इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार रुपये (-) 102.96 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2008-09 के बजट आयोजना व्यय रुपये 15,351.84 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2009-10 में कुल आयोजना व्यय रुपये 19,028.03 करोड़ प्रावधानित है। जो गत वर्ष से 23.95 प्रतिशत अधिक है
- आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान रुपये 3056.37 करोड़ से बढ़कर रुपये 3869.30 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2008-09 से 26.60 प्रतिशत अधिक।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान रुपये 2180.38 करोड़ से बढ़कर रुपये 2496.85 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2008-09 से 14.51 प्रतिशत अधिक।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 3.73 प्रतिशत।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का अनुपात 0.99 प्रतिशत।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल दायित्व का अनुपात 40.70 प्रतिशत।
- ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 12.43 प्रतिशत।

जेंडर बजट

- महिलाओं की समानता, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य की विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी के लिये 23 विभागों के लिये।

अधोसंरचना विकास

- सड़कों के निर्माण हेतु रु. 2489 करोड़ का प्रावधान
- 2367 कि.मी. सड़क निर्माण का लक्ष्य
- जन. निजी भागीदारी से 706 कि. मी. सड़क निर्माण का लक्ष्य
- एशियन विकास बैंक की सहायता से 1833 कि. मी. सड़क निर्माण का लक्ष्य
- 1,32,287 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता के विस्तार का लक्ष्य
- सिंचाई हेतु गत वर्ष की तुलना से रु. 627 करोड़ का अधिक प्रावधान

ग्रामीण विकास

- रोजगार गारन्टी हेतु रु. 5137 करोड़
- बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड हेतु रु. 546 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण आजीविका योजना हेतु रु. 95 करोड़ का प्रावधान

निवेश वृद्धि

- निवेश हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों में प्रदेश राज्यों की सूची में छठवें स्थान पर
- दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल परियोजना में निवेश रु. 9 करोड़
- उद्योग मित्र योजना की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि

कृषि

- कृषि क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में 50% अधिक प्रावधान
- कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना
- ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना
- गेहूँ के उपार्जन पर बोनस हेतु इस वर्ष रू. 90 करोड़ का प्रावधान
- अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण लक्ष्य रू. 4200 करोड़
- दीर्घकालीन साख हेतु रू. 275 करोड़ का लक्ष्य
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में रू. 48 करोड़

शिक्षा

- 684 माध्यमिक शाला भवन एवं 18500 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण
- 28000 शिक्षकों की नियुक्तियां
- महाविद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के अंतर्गत विदेश भ्रमण हेतु रू. 50,000 की पुरस्कार योजना
- राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान हेतु रू.30 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.ई.टी./पी.एम.टी. प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षण हेतु देय छात्रवृत्ति रू.375 प्र.मा. से बढ़ाकर रू. 500 प्र.मा.एवं छात्राओं को रू. 525 प्र.मा.
- निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना हेतु रू. 500 प्र.मा.
- निःशक्तजनों को शोध अध्ययन हेतु रू. 8000 प्र.मा. छात्रवृत्ति

स्वास्थ्य

- दीनदयाल अन्त्योदय योजना के अंतर्गत रू. 47 करोड़ का प्रावधान
- 161 उप स्वा. केन्द्र, 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु प्रावधान
- जिला बीमारी सहायता हेतु रू. 25 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु रू. 113 करोड़ का प्रावधान
- अस्पतालों में अतिरिक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति - 6000
- जिला अस्पतालों में अतिरिक्त शैय्याओं के निर्माण की स्वीकृति - 4400

महिला एवं बाल कल्याण

- 9691 आंगनबाड़ी तथा 9820 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना
- **86 नई एकीकृत बाल विकास परियोजनायें प्रारंभ होंगी**
- पोषण आहार हेतु रू. 781.84 करोड़ का प्रावधान
- लाडली लक्ष्मी योजना हेतु रू. 276 करोड़ का प्रावधान
- छात्राओं के लिये निःशुल्क साईकल हेतु रू. 68 करोड़ का प्रावधान
- कन्यादान योजना हेतु रू. 25 करोड़ का प्रावधान

सुशासन एवं संसाधन विकास

- वन विभाग के समस्त आहरण कोषालयीन कम्प्यूटर व्यवस्थासे जुड़े
- शासकीय भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक क्लेयरिंग सिस्टम के माध्यम से करने की योजना
- करेतर राजस्व में संसाधन वृद्धि का विशेष प्रयास
- गतवर्ष की तुलना में करेतर राजस्व में 25% वृद्धि का अनुमान

कानून एवं व्यवस्था

- नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त थानों की स्थापना
- आतंकवादी निरोधक दस्ता की स्थापना
- पुलिस विभाग के बजट में गतवर्ष की तुलना में 10 % वृद्धि

अन्य योजनायें

- नशा मुक्ति हेतु विशेष अभियान
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम हेतु राशि रू. 789 करोड़ का प्रावधान
- मजदूर सुरक्षा योजना हेतु रू. 10 करोड़ का प्रावधान
- पेयजल हेतु रू. 740.89 करोड़ का प्रावधान
- ए.आई.बी.पी. हेतु रू. 1477.15 करोड़ का प्रावधान
- जे. एन. एन. यू. आर. एम. हेतु रू. 189 करोड़ का प्रावधान
- रूरल टेक्नालाजी एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना हेतु रू. 2 करोड़ का प्रावधान
- जिला संसाधन एटलस तैयार करने हेतु रू. 1 करोड़ का प्रावधान